

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी

सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

यह तथ्य पत्रक लागू होता है यदि आप:

- संघीय-सहायता प्राप्त मार्केटप्लेस (FFM) या राज्य की साझेदारी वाले मार्केटप्लेस (SPM) वाले राज्य में नेवीगेटर, गैर-नेवीगेटर सहायता कर्मचारी (“स्वयं सहायताकर्ता”), या प्रमाणित आवेदन सलाहकार (CAC) (सामूहिक रूप से, सहायताकर्ता) हैं; और/या
- आप्रवासी आवेदकों को उनके स्वास्थ्य की देखरेख और बीमा सुरक्षा (कवरेज) के विकल्पों की खोज करने में सहायता कर रहे हैं।

वे उपभोक्ता जो आप्रवासी हैं: संक्षिप्त विवरण

अनेक आप्रवासी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केटप्लेस (मार्केटप्लेस) या मेडिकेड अथवा बाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (Children’s Health Insurance Program - CHIP) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा (कवरेज) के लिए पात्र हैं। मेडिकेड या CHIP के लिए पात्र होने के लिए, या मार्केटप्लेस के माध्यम से योग्य स्वास्थ्य योजना (qualified health plan - QHP) में नामांकन कराने के लिए उपभोक्ता के लिए अमरीका का नागरिक होना या अमरीका का देशवासी होने की आवश्यकता नहीं है। आप्रवासी आवेदकों की नई स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा में नामांकन कराने में सहायता करने वाले सहायताकर्ताओं (Assisters) को विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख और बीमा सुरक्षा के विकल्पों के लिए इन उपभोक्ताओं की पात्रता को प्रभावित करने वाले संघीय और राज्य नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सहायताकर्ताओं को आप्रवासी उपभोक्ताओं की उनकी स्वास्थ्य देखरेख बीमा सुरक्षा के विकल्पों का मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए आवेदन और नामांकन प्रक्रिया को भी समझना चाहिए। इसके अलावा, सहायताकर्ताओं को सांस्कृतिक और भाषायी रूप से उपयुक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अपनी आप्रवास स्थिति और योग्यता के अन्य मानदण्ड के आधार पर, आप्रवासी मार्केटप्लेस, मेडिकेड, या CHIP के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख के हकदार हो सकते हैं। यदि उपभोक्ता आप्रवास की स्थिति पर ध्यान दिए बिना राज्य में मेडिकेड की पात्रता के सभी मानदण्ड (जैसे आय और राज्य की नागरिकता) पूरे करते हैं, तो मेडिकेड आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के उपचार के लिए भुगतान उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Community Health Centers - CHCs) और प्रवासी स्वास्थ्य केन्द्र (Migrant Health Centers - MHCs) भुगतान करने की योग्यता या आप्रवास की स्थिति पर ध्यान दिए बिना विस्तृत प्राथमिक देखरेख प्रदान करते हैं। फिर भी, MHCs केवल प्रवासी और मौसमी कृषि कामगारों और उनके परिवारों को सेवा प्रदान करते हैं।

सहायताकर्ताओं को नीचे दिए विषयों से परिचित होना चाहिए जो आप्रवासी उपभोक्ताओं से संबंधित हैं:

1. **मार्केटप्लेस की पात्रता:** कानूनी रूप से उपस्थित और मार्केटप्लेस की पात्रता की अन्य बुनियादी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आप्रवासी मार्केटप्लेस के माध्यम से बीमा सुरक्षा के हकदार हो सकते हैं। कानूनी रूप से उपस्थित प्रवासन की स्थितियों के सार के लिए नीचे प्रदर्श 1 – मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा के लिए हकदार अप्रवासन की स्थितियाँ देखें। ये आवेदक पारिवारिक आय और परिवार के आकार सहित पात्रता के कुछ अतिरिक्त मानदण्डों के आधार पर मार्केटप्लेस के माध्यम से वित्तीय सहायता के भी हकदार हो सकते हैं।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

प्रदर्श 1 – मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा के लिए हकदार अप्रवासन की स्थितियाँ

कानूनी रूप से मौजूद अप्रवासन की स्थितियाँ

केवल मार्केटप्लेस पात्रता की स्थिति

- वैध गैर-आप्रवासी स्थिति वाले व्यक्ति (कामगार वीजा (जैसे H1, H-2A, H-2B), छात्र वीजा, U-वीजा, T-वीजा और अन्य वीजा, तथा माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैण्ड, और पलाउ के नागरिक शामिल हैं)
- वीजा याचिकाओं की स्वीकृति मिल जाने वाले विदेशी और जिनका आवेदन स्थिति के समायोजन के लिए लंबित पड़ा है
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें रोजगार के अधिकार की मंजूरी प्रदान कर दी गई है
- सुरक्षा प्राप्ति की अस्थाई स्थिति (TPS)
- अमरीका में सशर्त रहने वाले
- स्थगित कार्य स्थिति (*अपवाद*: बचपन में आगमन के स्थगित कार्य (DACA) को कानूनी रूप से उपस्थित नहीं माना जाता है)
- स्थगित बाध्य रवानगी (DED)
- ऐसा बच्चा जिसका आवेदन विशेष आप्रवासी किशोर की स्थिति के लिए लंबित हो
- यातना विरोधी कन्वेंशन (CAT) के अंतर्गत राहत प्रदान किया गया व्यक्ति
- कानूनन अस्थाई निवासी
- पारिवारिक एकता के लाभार्थी
- नीचे सूचीबद्ध की गई मेडिकेड पात्रता की सभी स्थितियाँ

मेडिकेड पात्रता की स्थिति (यदि 5-वर्ष की सीमा पूरी हो)*

- कानूनन स्थाई निवासी (LPR/ग्रीन कार्ड धारक)
- शर्ता के अधीन प्रवेश करने वाले व्यक्ति
- अमरीका में 1 वर्ष या अधिक से सशर्त रहने वाले
- घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी/पति, संतान या माता/पिता जिनकी याचिका DHS में लंबित हो या स्वीकृत हो

मेडिकेड पात्रता की स्थिति (5-वर्ष की सीमा लागू नहीं होती है)**

- मानव तस्करी से बचने वाले लोग और उनकी पत्नी/पति, संतान, भाई-बहन या माता-पिता
- ऐसे कानूनन स्थाई निवासी जिन्होंने 5 वर्ष की सीमा से छूट प्राप्त स्थिति से समायोजन किया हो
- पूर्व-सैनिक या सक्रिय ड्यूटी वाले सैनिक, और उनकी पत्नी/पति या अविवाहित आश्रितजन जो “योग्य गैर-नागरिक” की स्थिति भी रखते हैं
- शरणार्थी
- शरण प्राप्त व्यक्ति
- क्यूबा/हैती के प्रवेश करने वाले व्यक्ति
- ऐसे व्यक्ति जिनके निर्वासन को रोकने या निष्कासन को रोकने की मंजूरी प्रदान की गई है
- संघीय रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय जनजाति का सदस्य या कनाडा में जन्मा अमेरिकन इंडियन
- कुछ खास अमेरिकी-एशियाई आप्रवासी

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

और अधिक कानूनी रूप से उपस्थित अप्रवासन की स्थितियों के लिए, देखें: www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/***

*कानूनी रूप से रहने वाले अप्रवासन की स्थितियों को दर्शाता है जिन्हें मेडिकेड की पात्रता के उद्देश्य से योग्य गैर-नागरिक स्थितियाँ माना जाता है

**कानूनी रूप से मौजूद ऐसी अप्रवासन स्थितियों को दर्शाता है जिन्हें मेडिकेड की पात्रता के उद्देश्य से योग्य गैर-नागरिक स्थितियाँ माना जाता है तथा जो मेडिकेड की 5-वर्ष की सीमा के अधीन नहीं हैं

***इस उत्पाद का विदेशी रूपांतरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

यह चार्ट अप्रवासन की स्थिति से संबंधित जटिल संघीय स्थितियों का सार प्रस्तुत करता है। सार के रूप में, इसमें सभी संगत विवरण शामिल नहीं हैं। यह प्रकाशन कानूनी दस्तावेज नहीं है तथा अधिकारों की मंजूरी नहीं देता है या दायित्व नहीं डालता है। इसका आशय लिखित कानून या विनियमों का स्थान लेना नहीं है।

2. **मेडिकेड या CHIP की पात्रता:** आमतौर पर, गैर-नागरिक व्यक्तियों और “योग्य गैर-नागरिक” अप्रवासन की स्थिति वाले व्यक्ति मेडिकेड या CHIP में नामांकन कराने के हकदार हैं, यदि वे राज्य में मेडिकेड या CHIP के लिए अन्यथा पात्र (हकदार) हैं (अर्थात् आय और राज्य की नागरिकता के मानदण्ड को पूरा करते हैं)। “योग्य गैर-नागरिक” अप्रवासन की स्थितियों की पहचान उपर्युक्त प्रदर्श 1 – मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा के लिए हकदार अप्रवासन की स्थितियाँ में एक तारे के साथ की जाती है। इसके अलावा, संघीय कानून की अपेक्षा है कि अनेक योग्य गैर-नागरिक मेडिकेड या CHIP के हकदार बनने से पहले पाँच-वर्ष की प्रतीक्षा अवधि (“पाँच-वर्ष की सीमा” भी कहा जाता है) को पूरा करते हों। पाँच-वर्ष की यह अवधि तब शुरू होती है जब उपभोक्ताओं को उनके योग्य होने की अप्रवासन की स्थिति मिलती है, न कि जब वे पहली बार अमरीका में दाखिल होते हैं। फिर भी, कुछ खास प्रवासन की स्थितियों वाले उपभोक्ताओं को पाँच-वर्ष की प्रतीक्षा अवधि से छूट प्राप्त है। 5-वर्ष की प्रतीक्षा अवधि से छूट प्राप्त “योग्य गैर-नागरिक” अप्रवासन की स्थितियों (जैसे शरणार्थी, शरण प्राप्त व्यक्ति और क्यूबा-हैती के प्रवेश करने वाले व्यक्ति) की पहचान उपर्युक्त प्रदर्श 1 – मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा के लिए हकदार अप्रवासन की स्थितियाँ में दो तारों के की जाती है।

महत्वपूर्ण: कुछ राज्यों ने बच्चों और/या गर्भवती महिलाओं को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या उन्हें “योग्य गैर-नागरिक” माना जाता है या क्या उन्होंने पाँच-वर्ष की प्रतीक्षा अवधि पूरी कर ली है, को उस स्थिति में कानूनी रूप से पेश करने के लिए मेडिकेड और CHIP की बीमा सुरक्षा का विस्तार किया है, यदि वे अन्यथा राज्य में मेडिकेड या CHIP के हकदार हैं।

- यह लिंक दर्शाता है कि कौन-से राज्य बच्चों और/या गर्भवती महिलाओं की कानूनन मौजूदगी को कवर करते हैं: <http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/outreach-and-enrollment/lawfully-residing.html>***
- इस लिंक में प्रत्येक राज्य के मेडिकेड की पात्रता के मानदण्ड की जानकारी है: <http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-state/by-state.html>***.

मेडिकेड की पात्रता के बारे में और अधिक विशेष जानकारी के लिए, राज्य के ड्रॉप डाउन मेन्यू का प्रयोग करते हुए अपने राज्य के मेडिकेड कार्यालय से निम्नलिखित पर संपर्क करें: <https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/eligibility/>***.

यदि गैर-नागरिक मेडिकेड के हकदार नहीं हैं, चाहे कानूनन मौजूद होने के कारण हों लेकिन “योग्य गैर-नागरिक” की अप्रवासन स्थिति न रखते हों या “योग्य गैर-नागरिक” हों, लेकिन पाँच वर्ष की प्रतीक्षा अवधि पूरी न की हो,

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

तो ये गैर-नागरिक उपभोक्ता अन्यथा मार्केटप्लेस की पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने पर मार्केटप्लेस के माध्यम से वित्तीय सहायता के हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा, मेडिकेड उस स्थिति में आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों के उपचार के लिए आपातकालीन सेवाओं के भुगतान की व्यवस्था करता है यदि उपभोक्ता राज्य में मेडिकेड की पात्रता के अन्य सभी नियमों को पूरा करते हैं लेकिन हकदार अप्रवासन की स्थिति नहीं रखते हैं।

- 3. दस्तावेजों में दर्ज न किए गए ऐसे आप्रवासी जो मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा (कवरेज) के हकदार नहीं हैं:** दस्तावेजों में दर्ज न किए गए आप्रवासी, पूरी कीमत पर भी, मार्केटप्लेस के माध्यम से बीमा सुरक्षा में नामांकन कराने के हकदार नहीं हैं, हालांकि वे मार्केटप्लेस के बाहर बीमा सुरक्षा खरीदने के योग्य हो सकते हैं। मेडिकेड उस स्थिति में आपातकालीन चिकित्सीय दशाओं के उपचार के लिए आपातकालीन सेवाओं के भुगतान की व्यवस्था करता है यदि व्यक्ति राज्य में मेडिकेड की पात्रता के अन्य सभी नियमों (जैसे आय और राज्य की नागरिकता) को पूरा करता है लेकिन हकदार अप्रवासन की स्थिति नहीं रखता है। इसके अलावा, कुछ खास राज्यों में, कुछ गर्भवती महिलाएं अप्रवासन की स्थिति पर ध्यान दिए बिना गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा (कवरेज) प्राप्त करने के योग्य हो सकती हैं।
- 4. बचपन में आगमनों के लिए स्थगित कार्रवाई (DACA) की मंजूरी प्राप्त व्यक्ति मार्केटप्लेस की बीमा सुरक्षा के हकदार नहीं हैं:** 15 जून, 2012 को जारी DHS दिशा-निर्देश के अंतर्गत स्थगित कार्रवाई की मंजूरी प्राप्त व्यक्ति मार्केटप्लेस के माध्यम से बीमा सुरक्षा खरीदने के हकदार नहीं हैं।¹
- 5. कानूनी रूप से रहने वाले आप्रवासी रियायती मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा के हकदार हो सकते हैं चाहे उनकी आय संघीय गरीबी रेखा (Federal Poverty Line - FPL) से कम हो:** अधिकतर उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता का हकदार बनने के लिए उनकी FPL के 100% और 400% के बीच की वार्षिक कर पारिवारिक आय अवश्य होनी चाहिए। फिर भी, अप्रवासन की स्थिति के कारण मेडिकेड की पात्रता न रखने वाले कानूनी रूप से रहने वाले आप्रवासी अपनी आय FPL के 100% से कम होने पर भी वित्तीय सहायता के लिए हकदार हो सकते हैं।

प्रवासन की स्थिति को प्रमाणित और सत्यापित करना

मार्केटप्लेस के आवेदन-पत्र में स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के विकल्पों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदकों से नागरिकता और अप्रवासन की स्थिति के बारे में पूछा जाता है। मार्केटप्लेस द्वारा नागरिकता और प्रवासन की सूचना का एकत्रण और सत्यापन केवल परिवार के उन सदस्यों के लिए किया जाता है जो बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे होते हैं। इस सूचना का प्रयोग केवल उपभोक्ता की पात्रता का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा, तथा अप्रवासन के लागूकरण के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया अमेरिकी अप्रवासन परंपराएं और लागूकरण (Immigration Customs and Enforcement - ICE) के निम्नलिखित ज्ञापन (अंग्रेजी और स्पैनिश में) देखें: <https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf>***.

¹ इस गाइड में प्रकाशन या वेब पर अपलोड किए जाते समय नवीनतम सूचना थी। पात्रता की नीतियाँ बार-बार बदल सकती हैं।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

अप्रवासन की मिश्रित स्थिति वाले परिवार

सहायताकर्ताओं को पता होना चाहिए कि कुछ उपभोक्ता प्रवासन की मिश्रित स्थिति वाले परिवार में रहते हैं, जो परिवार नागरिकता या अप्रवासन की विभिन्न स्थितियों वाले लोगों से बना होता है। इस स्थिति में, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी नागरिकता या अप्रवासन की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के विभिन्न विकल्पों का हकदार हो सकता है।

परिवार के सदस्यों की ओर से बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन करना

सहायताकर्ताओं को यह भी पता होना चाहिए कि उपभोक्ता स्वयं बीमा सुरक्षा के हकदार न होने पर भी अपने हकदार आश्रितजनों की ओर से बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्वयं के लिए विस्तृत स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा की माँग करने वाले उपभोक्ता


स्वयं के लिए विस्तृत स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा की माँग करने वाले उपभोक्ताओं को अप्रवासन की पात्रता की स्थिति रखने या नागरिक अथवा निवासी होने का प्रमाणन करने के योग्य होना चाहिए, जिसे मार्केटप्लेस द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (Social Security Administration - SSA) और/या DHS के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। अप्रवासन की पात्र स्थिति रखने का प्रमाणन करने वाले उपभोक्ताओं को मार्केटप्लेस आवेदन-पत्र द्वारा अनुरोध किए जाने पर अप्रवासन के अपने दस्तावेज की किस्म और सभी दस्तावेजों की संख्याएं, जो उनके पास उपलब्ध हों, प्रदान करनी चाहिए (नीचे प्रदर्श 2 – अप्रवासन की स्थिति का सत्यापन करने के लिए दस्तावेज के प्रकार का स्क्रीन संदेश चयन देखें)। आवेदन-पत्र के साथ यह सूचना प्रदान करने से सत्यापन और पात्रता की प्रक्रिया अधिक तेज हो जाती है, तथा लोगों द्वारा डेटा की मिलान “असंगतियाँ” जैसी अनावश्यक समस्याओं को झेलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं (नीचे वर्णन किया गया है)। अमेरिकी नागरिक होने या अप्रवासन की पात्र स्थिति को प्रमाणित न करने वाले उपभोक्ता मार्केटप्लेस के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे फिर भी यह जानने के लिए मार्केटप्लेस का आवेदन भर सकते हैं कि यदि वे अपने राज्य में मेडिकेड या CHIP की पात्रता के अन्य मानदण्डों को पूरा करते हों, तो वे मेडिकेड के माध्यम से कुछ खास राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों या सेवाओं का उपचार प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं या नहीं।

उपभोक्ता अपनी स्वयं की पात्रता की स्थितियों पर ध्यान दिए बिना अपने परिवार के सदस्यों की ओर से मार्केटप्लेस, मेडिकेड या CHIP के माध्यम से बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अमेरिकी नागरिकों के दस्तावेजों में दर्ज न किए गए माता-पिता आवेदन दाखिल करने वाले के रूप में अपने बच्चों की ओर से बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में, आवेदन दाखिल करने वाला प्रमाणित कर रहा है कि बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन करने वाला परिवार का सदस्य अमेरिकी नागरिक है या अप्रवासन की हकदार स्थिति वाला है। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आवेदन करते समय तथा उनके लिए बीमा सुरक्षा का अनुरोध न करते समय, आवेदन दाखिल वालों से अपनी स्वयं की नागरिकता या अप्रवासन की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं है, बल्कि उनसे केवल इतना अपेक्षित है कि वे बीमा सुरक्षा का अनुरोध करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए नागरिकता और अप्रवासन की जानकारी उपलब्ध कराएं। उनके आवेदन में दी गई जानकारी का प्रयोग अप्रवासन को लागू करने के उद्देश्यों से नहीं किया जाएगा। यदि इन आवेदन दाखिल करने वालों को सत्यापन की प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता होती है, तो वे मार्केटप्लेस कॉल सेन्टर को फोन कर सकते हैं।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

प्रदर्श 2 – अप्रवासन की स्थिति का सत्यापन करने के लिए दस्तावेज के प्रकार का स्क्रीन संदेश चयन²



Application ID: 97104741

GET STARTED

FAMILY & HOUSEHOLD

1 **Document type**

2 More about this household

3 Summary

INCOME

ADDITIONAL INFORMATION

REVIEW & SIGN

Document type (Select one)
Learn more about document types

Permanent Resident Card ("Green Card", I-551)

The I-551 Permanent Resident Card, or "Green Card", is issued to immigrants who enter the U.S. to reside permanently. Enter the Alien number (starts with an "A," followed by 7-9 digits) and card number, as listed on the card.

Alien number *optional* Card number *optional*

A-158458572

XXXXXXXXXX

Enter your card number.
XXXXXXXXXXXXXX

If you only have an alien number, select "Other documents or status types." You'll be asked "Does Joseph Carlson also have any of these documents or status types?" Select "Other." Then enter your document description and your alien number.

Is [redacted] the same name that appears on his document?

Yes

No

पहचान और पात्रता की जानकारी का सत्यापन करना

जब उपभोक्ता बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन करते हैं, तो मार्केटप्लेस को उनकी पहचानों के साथ-साथ उनसे संबंधित ऐसी अन्य जानकारी का सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे उनकी पात्रता के मुताबिक बीमा सुरक्षा और वित्तीय सहायता का निर्धारण होता है। पहचान के सत्यापन को "पहचान (ID) का सबूत" भी कहा जाता है, तथा यह उपभोक्ताओं की निजी जानकारी की सुरक्षा यह सुनिश्चित करते हुए करता है कि प्रत्येक आवेदन वही हो जो होने का उसने दावा किया है, जिससे धोखाधड़ी से मार्केटप्लेस खाता बनाने की तथा दूसरे उपभोक्ता की जानकारी के बिना उसके नाम से स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन करने की रोकथाम होती है। पहचान (ID) का सबूत मार्केटप्लेस आवेदन-पत्र का महत्वपूर्ण भाग है और पहचान (ID) के सबूत की अनसुलझी समस्याएं उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने में रुकावट डाल सकती हैं। पहचान (ID) के सबूत भरने के लिए उपभोक्ता स्वयं के बारे में निजी जानकारी दर्ज करते हैं, जैसे वे कहाँ रहा करते थे या उनका बैंक खाता कहाँ है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए *पात्रता और नामांकन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुझाव (Tips to Handle Eligibility and Enrollment Challenges)* देखें।)

डेटा का मिलान करने की समस्याएं

डेटा का मिलान करने की समस्याओं को "असंगतियाँ" भी कहा जाता है, तथा ये तब उत्पन्न होती हैं जब उपभोक्ता द्वारा उसके मार्केटप्लेस के आवेदन-पत्र में दर्ज की गई सूचना विश्वसनीय डेटा स्रोतों से मार्केटप्लेस को प्राप्त डेटा

² कृपया ध्यान दें कि इस प्रस्तुतीकरण में शामिल की गई जानकारी केवल उदाहरण के रूप में है। स्लाइडों में नामों और/या विशेष जारीकर्ताओं/प्लैनों के साथ स्क्रीनशॉट होते हैं। इन स्क्रीनशॉटों का उद्देश्य उदाहरण उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत किए गए नाम बनाए गए हैं और जारीकर्ता/प्लैन के प्रदर्शित नाम बेतरतीब रूप से चुने गए थे। इन उदाहरणों में निजी रूप से पहचानी जाने वाली जानकारी नहीं है तथा विशेष जारीकर्ताओं/प्लैनों का समर्थन नहीं करते हैं।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

से मेल नहीं खाती है, जैसे SSA के रिकार्ड या आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) के डेटाबेस। सबसे अधिक सामान्य किस्म की डेटा मिलान की समस्याएं आय, नागरिकता, और अप्रवासन की जानकारी से संबंधित होती हैं। उपभोक्ता आवेदन करने के बाद मार्केटप्लेस से प्राप्त पात्रता के नोटिस की जाँच करके डेटा मिलान की कोई समस्या उत्पन्न होने का पता लगा सकते हैं। यदि किसी उपभोक्ता के डेटा मिलान में कोई समस्या है, तो पात्रता के नोटिस में लिखा होगा – “मार्केटप्लेस को और अधिक जानकारी भेजें।” उपभोक्ताओं को इस अनुरोध का जवाब अधिसूचना में दर्शाई गई समय अवधि के भीतर अवश्य देना चाहिए तथा डेटा मिलान की समस्या का समाधान करना चाहिए वरना उनका नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा। असंगतियों का समाधान करने की पसंदीदा और सबसे अधिक कुशल विधि अनुरोध किए गए सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपभोक्ताओं के HealthCare.gov खातों पर अपलोड करना है। उपभोक्ताओं के पास अपने दस्तावेजों की प्रतियाँ मार्केटप्लेस को सीधे डाक द्वारा भेजने का विकल्प भी है।

सहायताकर्ताओं (Assisters) को उपभोक्ताओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी पात्रता के नोटिसों को ध्यान से पढ़ें जिससे वे निम्नलिखित को भेजना सुनिश्चित कर सकें:

- माँगी गई सारी जानकारी;
- सही दस्तावेज, यदि लागू हों; तथा
- नामांकन समूह के सही सदस्य की जानकारी।

उदाहरण के लिए, मार्केटप्लेस दाखिल करने वाले के अलावा किसी और के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है। नामांकन समूह के सही सदस्य की सारी सही जानकारी और दस्तावेज, यदि लागू हो, जमा करने से मार्केटप्लेस को डेटा मिलान की समस्या का समाधान, जितनी जल्दी संभव हो, करने में सहायता मिलेगी।

अतिरिक्त जानकारी जमा न करने वाले, या सही व्यक्ति की सही सूचना जमा न करने वाले व्यक्तियों को मार्केटप्लेस के माध्यम से अपनी बीमा सुरक्षा खोने का जोखिम रहता है। अप्रवासन की स्थिति या नागरिकता की असंगतियों वाले उपभोक्ताओं को दो चेतावनी नोटिस मिलेंगे: एक समस्या के समाधान की अंतिम तारीख से 60 दिन पहले, तथा दूसरा 30 दिन पहले। चेतावनी के नोटिसों की विषय पंक्ति में “महत्वपूर्ण” लिखा होगा: अपने मार्केटप्लेस की बीमा सुरक्षा को बनाए रखने या अपनी मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा का भुगतान करने के लिए मिलने वाली सहायता को बनाए रखने के लिए नीचे दी गई तारीखों तक जवाब दें। प्रत्येक नोटिस में स्वीकार्य दस्तावेजों और उन्हें भेजने के निर्देशों की सूची होती है, जिसे उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वे सही सूचना जमा कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को डेटा मिलान की समस्या का समाधान करने के लिए अपनी अंतिम तारीख से 14 दिन पहले उन्हें फोन कॉल भी की जाएगी।

सहायताकर्ता नामांकन प्रक्रिया के दौरान आप्रवासियों की सहायता कैसे कर सकते हैं

निम्नलिखित बेहतरीन पद्धतियाँ सहायताकर्ताओं को स्वयं के लिए या किसी अन्य की ओर से स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा की माँग करने वाले आप्रवासी उपभोक्ताओं के साथ बात करने में सहायता कर सकती हैं।

- आप्रवासी उपभोक्ताओं को उनकी गुप्तता और गोपनीयता, विशेष रूप से उनकी नागरिकता या अप्रवासन की स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा संख्याओं (SSNs) के बारे में आश्वस्त करने वाले संदेश भेजकर शुरुआत करें। उपभोक्ताओं को जानकारी दें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का प्रयोग सरकारी एजेन्सियों द्वारा अप्रवासन के कानूनों या नीतियों को लागू करने के लिए नहीं किया जाएगा।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

- उपभोक्ताओं को अप्रवासन की पात्रता की स्थितियों और अप्रवासन के स्वीकार्य दस्तावेजों से संबंधित सूचना दें जिससे उन्हें इसका निर्णय लेने में सहायता मिले कि उनके परिवार में स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन करने के लिए कौन हकदार हो सकता है।
- अप्रवासन की हकदार स्थितियों के बारे में संदेह रखने वाले उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए या यदि उनके पास प्रवासन के दस्तावेज तुरंत उपलब्ध न हों, तो ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करने के लिए उन्हें गैर-लाभकारी अप्रवासन वकीलों के पास भेजने के लिए तैयार रहें।
- उपभोक्ता या उपभोक्ताओं से यह पूछकर कि क्या वे स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का अनुरोध कर रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की सही पहचान करना सुनिश्चित करें।
- सहायताकर्ताओं (Assisters) को यह सुनिश्चित करने में सहायता करनी चाहिए कि भाषा या सांस्कृतिक बाधाएं मार्केटप्लेस के आवेदन और नामांकन प्रक्रिया को समझने में उपभोक्ताओं की समझ के आड़े न आएं। मौखिक दुभाषिये और अनूदित सामग्रियाँ मार्केटप्लेस कॉल सेंटर के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध हैं, तथा जानकारी को पूरी तरह से सुलभ और समझने योग्य बनाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। सहायताकर्ताओं को इन सेवाओं तक पहुंच बनानी चाहिए और आवेदकों या उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर ये उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि ये सेवाएं मुफ्त हैं, इसलिए आवेदक या उनके परिवार के सदस्य से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए।
- यदि उपभोक्ता अंग्रेजी से अलग कोई भाषा बोलते हैं और निजी सहायता किसी अन्य भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे मार्केटप्लेस को 1-800-318-2596 पर कॉल कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को बताएं कि मार्केटप्लेस दूसरी भाषाओं में सहायता मुफ्त उपलब्ध कराता है। आप अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में सहायता देने वाले वैयक्तिक रूप से सहायताकर्ता संगठनों की खोज करने के लिए HealthCare.gov पर “स्थानीय सहायता खोजें” (“Find Local Help”) का प्रयोग कर सकते हैं। <https://localhelp.healthcare.gov/>.

पात्रता और नामांकन की चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव

आप्रवासी उपभोक्ताओं की सहायता करते समय, सहायताकर्ताओं को निम्नलिखित संभावित चुनौतियों की जानकारी होनी चाहिए:

- सहायताकर्ताओं को बिना किसी निर्धारित आय, विदेशी आय, या स्व-नियोजित व्यवसाय से आय वाले मौसमी कामगारों सहित आप्रवासी उपभोक्ताओं की सामान्य आय के विभिन्न स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार की आय स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के खर्च को कम करने वाले बीमा संवहनीयता कार्यक्रमों की पात्रता को प्रभावित कर सकती हैं।
- सहायताकर्ताओं को उपभोक्ताओं को यह पहचान करने में सहायता करनी चाहिए कि मुलाकात के समय उन्हें कौन-से दस्तावेज अपने साथ लाने चाहिए, तथा स्वीकार्य प्रलेखन के उदाहरण देने चाहिए (जैसे, SSN कार्ड, स्थाई नागरिकता कार्ड या “ग्रीन कार्ड”, रोजगार प्राधिकार कार्ड, या शरणार्थी कार्ड)। ऐसा तब किया जा सकता है जब उपभोक्ता मुलाकात तय करने के लिए फोन करें, लेकिन पहुँच समारोहों में नामांकन के लिए आवश्यक प्रलेखों के बारे में बताने वाले विज्ञापनों, पुस्तिकाओं, या अन्य पर्चों से भी ऐसा किया जा सकता है। स्वीकार्य प्रलेखों की सूची के लिए इस पर जाएं: <https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/>***.

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

- सहायताकर्ताओं (Assisters) को सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को पता हो कि नागरिकता और अप्रवासन की स्थिति के दस्तावेज केवल बीमा सुरक्षा का आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक हैं, न कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए।
- सहायताकर्ताओं को उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे दस्तावेज के प्रकार और संख्या के ज्ञात और उपलब्ध होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन पर अनुरोध की गई अप्रवासन संबंधी सारी जानकारी शामिल करें। इससे उपभोक्ताओं के अप्रवासन और नागरिकता की स्थिति के सफलतापूर्वक सत्यापन की संभावना बढ़ जाएगी।
- सहायताकर्ताओं को पता होना चाहिए कि हो सकता है कि उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी न हो कि ऑनलाइन नामांकन कराने के लिए उनका ई-मेल खाता होना जरूरी है। ई-मेल खाते बनाने के लिए उपभोक्ताओं के साथ काम करते समय अतिरिक्त समय लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। उपभोक्ता मार्केटप्लेस को 1-800-318-2596 पर कॉल करके फोन पर भी नामांकन करा सकते हैं।
- सहायताकर्ताओं (Assisters) को ऐसा फॉर्म बनाने पर विचार करना चाहिए जिसे उपभोक्ता निम्न जैसी जानकारी के साथ भर सकें:
 - उनके HealthCare.gov खाते की सूचना;
 - उन्हें उनका पासवर्ड याद दिलाने वाला संकेत;
 - उनकी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियमों, कटौती धनराशियों और सह-बीमे की धनराशि सहित उनके स्वास्थ्य बीमा प्लैन संबंधी विवरण; तथा
 - कोई ऐसी अन्य जानकारी जो उपभोक्ताओं को अपनी स्वास्थ्य देखरेख बीमा सुरक्षा से संबंधित जरूरी सूचना को तैयार रखने में उनकी सहायता करेगी।

सहायताकर्ता के नाम और संपर्क सूचना के साथ किसी पत्रक पर यह सूचना प्रदान करने से उपभोक्ताओं को अपना कोई प्रश्न होने पर अपने सहायताकर्ता से संपर्क करने में सहायता मिल सकती है। यह जानकारी किसी सूची या व्यावसायिक कार्ड पर छोटे रूप में भी दी जा सकती है जिसे उपभोक्ता अपने पर्स में रख सकते हैं।

- आप्रवासियों को आवेदन के पहचान (ID) का सबूत देने वाले भाग को पूरा करने में समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि उनके पास पहचान (ID) के सबूत देने के लिए अपेक्षित क्रेडिट इतिहास होने की संभावना कम होती है। सहायताकर्ताओं (Assisters) को उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों सहित पहचान (ID) का सबूत देने की प्रक्रिया में उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहचान (ID) का सबूत देने को पूरा करने के लिए, उपभोक्ताओं को निम्न विषयों जैसे प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता पड़ेगी:
 - वर्तमान और पिछले निवास स्थानों के पते;
 - वर्तमान और पिछले नियोक्ताओं के नाम; तथा
 - उनके द्वारा गिरवी रखी वस्तुओं, क्रेडिट कार्डों, और/या उनके द्वारा लिए गए ऋणों के बारे में सूचना।

प्रश्न के संभावित वर्गों की पूरी सूची प्राप्त करें: <https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/your-marketplace-application.pdf>^{***}.

CMS उपभोक्ताओं के आवेदन की सूचना का सत्यापन करने के लिए एक्सपीरियन (Experian) और इक्विफैक्स (Equifax) जैसे क्रेडिट की रिपोर्ट देने वाली एजेन्सियों का प्रयोग करता है, ताकि वे उनके क्रेडिट के अंकों की जांच करते समय CMS की किसी पृष्ठताछ को देख सकें। यह CMS पृष्ठताछ उपभोक्ता के क्रेडिट अंकों को प्रभावित नहीं करती है।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

- सहायताकर्ताओं को उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली डेटा मिलान की समस्याओं में उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सहायताकर्ताओं को चाहिए कि वे उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के नोटिसों के साथ-साथ उन्हें अनुस्मारक नोटिस मिलने पर उन्हें ध्यान से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे यह सुनिश्चित हो कि उपभोक्ता नामांकन समूह के सही सदस्य के लिए सही सूचना प्रस्तुत करें। उपभोक्ता अपने मार्केटप्लेस खाते, जिसमें “आवेदन के विवरण” के अंतर्गत सभी समाधान न की गई असंगतियों की सूची होगी, की जाँच करके यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि क्या उनकी डेटा मिलान की समाधान न की गई समस्याएं हैं या नहीं हैं। मार्केटप्लेस में जमा कराए गए दस्तावेजों की स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं को कोई प्रश्न होने पर उन्हें मार्केटप्लेस कॉल सेन्टर को फोन करना चाहिए।
- सहायताकर्ताओं को पता होना चाहिए कि डेटा मिलान की समस्याओं वाले उपभोक्ता समस्या का समाधान होने से पहले भी बीमा सुरक्षा (कवरेज) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता के अप्रवासन या नागरिकता के डेटा मिलान की समस्याएं समाधान के बिना रहती हैं, तो वे मार्केटप्लेस के माध्यम से बीमा सुरक्षा की पात्रता खो सकते हैं। यदि उपभोक्ताओं की आय के डेटा मिलान की समस्याएं समाधान के बिना रहती हैं, तो उन्हें अपने प्रीमियम कर क्रेडिटों और लागत-साझा कटौतियों में संशोधन का सामना करना पड़ सकता है।

आप्रवासी उपभोक्ता की पात्रता का परिदृश्य

28 वर्षीय ईवा और एडेन सेन्टोस विवाहित हैं और हाल ही में उनके एक बच्ची, सेरेना का जन्म हुआ है, जो अमरीका में जन्मी है। एडेन इस वर्ष नागरिक बनी है। ईवा कानूनन स्थाई निवासी बनने के लिए आवेदन कर रही है और एडेन ने उसकी ओर से वीज़ा याचिका जमा की थी जिसे सितम्बर में मंजूरी मिल गई थी। उनकी वार्षिक पारिवारिक आय \$24,000 या FPL का 121% है। एडेन और ईवा संयुक्त रूप से टैक्स दाखिल करते हैं और सेरेना का आश्रितजन के रूप में दावा करते हैं। ईवा अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा में नामांकन कराने में सहायता के लिए सहायताकर्ता के पास जाती है, लेकिन उसे सभी की पात्रता के बारे में संदेह है। सेन्टोस परिवार की पात्रता के निर्धारण क्या होंगे? क्या एडेन, ईवा और सेरेना एक ही प्रकार की बीमा सुरक्षा में नामांकन करा पाएंगे?

उत्तर: एडेन, ईवा और सेरेना अपनी अलग-अलग नागरिकता की स्थितियों के कारण एक ही प्रकार की बीमा सुरक्षा में नामांकन नहीं करा पाएंगे। नामांकन के लिए उनकी पात्रता इस पर भी निर्भर कर सकती है कि वे विस्तारित मेडिकेड बीमा सुरक्षा वाले राज्य में रहते हैं या नहीं। सेन्टोस परिवार की पात्रता के निर्धारण इस प्रकार होंगे:

- **एडेन:** अमेरिकी नागरिक होने के नाते, एडेन के मार्केटप्लेस के माध्यम से QHP में नामांकन कराने के हकदार होने की संभावना है तथा वह मेडिकेड के लिए हकदार हो सकता है। यदि उसका राज्य मेडिकेड का विस्तार FPL के 138% तक कर दे, तो एडेन की आय उसे मेडिकेड की बीमा सुरक्षा (कवरेज) के योग्य बना देती है। ध्यान दें कि मेडिकेड विस्तारण वाले राज्य में, एडेन मार्केटप्लेस के माध्यम से APTC या CSRs का हकदार नहीं होगा। यदि एडेन मेडिकेड के गैर-विस्तारण वाले राज्य में रहता है और मार्केटप्लेस के माध्यम से बीमा सुरक्षा में नामांकन कराता है तो एडेन के मार्केटप्लेस के माध्यम से APTC या CSRs का हकदार होने की संभावना होगी।

विशेष जनसंख्या की सेवा में संलग्न: आप्रवासी सहायताकर्ताओं के लिए सक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य

- **ईवा:** ईवा को कानूनन मौजूद माना जाता है और इसलिए वह मार्केटप्लेस बीमा सुरक्षा की हकदार हो सकती है। ईवा को अभी भी मेडिकेड की पात्रता के उद्देश्य से “योग्य गैर-नागरिक” नहीं माना जाता है। यदि ईवा मार्केटप्लेस के माध्यम से नामांकन कराती है, तो वह मार्केटप्लेस के माध्यम से APTC और CSRs की हकदार हो सकती है।
- **सेरेना:** सेरेना अमरीका में पैदा हुई थी, इसलिए वह नागरिक है और उस स्थिति में मेडिकेड बीमा सुरक्षा की हकदार है, यदि वह राज्य के पात्रता के मानदण्डों को अन्यथा पूरा करती है।

अतिरिक्त संसाधन

अतिरिक्त जानकारी के लिए देखें:

HealthCare.gov: [आप्रवासी परिवारों के लिए क्या जानना जरूरी है](#)¹

Marketplace.CMS.gov: [आवासियों के लिए सूचना](#)^{2***}

Marketplace.CMS.gov: [नागरिकता और मार्केटप्लेस आवेदन-पत्र से संबंधित अप्रवासन के प्रश्न](#)³

1 <https://www.healthcare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know/>***

2 <https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/special-populations-help.html>***

3 <https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/citizenship-questions-on-marketplace-application.pdf>***

*** इस उत्पाद का विदेशी रूपांतरण इस समय उपलब्ध नहीं है।